

मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी-मार्च, 2023 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 3 मार्च, 2023 (फाल्गुन 12, 1944)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 31 की अपेक्षानुसार अधिसूचना फा.क्र.दो-12-11-मा.अधि.-2003, दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 की धारा 43 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना एफ 35-31-2019-एम-31-106, दिनांक 30 जून, 2022 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री बिसाहूलाल सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 16 की उपधारा (6) (च) के अंतर्गत बनाए गए मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 के नियम 15 के उप नियम (5) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखेंगे।

(4) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे।

(5) श्री प्रेमसिंह पटेल, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुकुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुकुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे।

(6) श्री ओमप्रकाश सखलेचा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क लिमिटेड का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे।

(7) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार -

(i) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल (मध्यप्रदेश) का 50 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022,

(ii) महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष

2021-2022, एवं

(iii) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022,

(ख) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995 (क्रमांक 37 सन् 1995) की धारा 39 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, करौंदी, जिला-कटनी (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022,

(ग) मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 20 सन् 1991) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022, एवं

(घ) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 34 सन् 2011) की धारा 44 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्री संजय यादव, सदस्य, बरगी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री श्याम लाल द्विवेदी, प्रदीप पटेल, सदस्य, रीवा जिले के हनुमना-चाकघाट मार्ग पर स्थित सौनोरी घाट का निर्माण न होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 192-जोबट (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्रीमती सुलोचना रावत को विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2023 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

5. आवेदनों की प्रस्तुति.

(1) श्री मेवाराम जाटव, सदस्य, भिण्ड जिले की तहसील गोहद के ग्राम देवीपुरा से नैवारी के पुरा तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(2) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव, सदस्य, विदिशा जिले के जतरापुरा से प्रधानमंत्री आवास योजना बसाहट से होते हुए सौंराई बायपास तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(3) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम गेहरुटोला शासकीय हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(4) श्री धर्मन्द्र भावसिंह लोधी, सदस्य, दमोह जिले के तेन्दूखेड़ा अंतर्गत खमरिया शिवलाल में व्यारमा नदी पर बने स्टॉपडेम का मरम्मत कार्य कराये जाने,

(5) श्री भूपेन्द्र मरावी, सदस्य, डिण्डौरी जिले के शहपुरा की ददरगांव मुख्य मार्ग से ऊपरटोला तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(6) श्री पुरुषोत्तमलाल तंतुवाय, सदस्य, दमोह जिले के पटेरा अंतर्गत मझगुआ हंसराज में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(7) श्री प्रह्लाद लोधी, सदस्य, पन्ना जिले के अम्हाबांध नहर को ग्राम हीरापुर तक बढ़ाये जाने,

(8) श्री अनिल जैन, सदस्य, निवाड़ी जिले के ग्राम पोहा मुख्य मार्ग से मडोरी तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने,

(9) श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम महाराजगंज बरायच्खेरा में शास. मा. शाला पहुंच मार्ग पर स्थित नाले पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(10) श्री घनश्याम सिंह, सदस्य, दतिया जिले के सेंवड़ा अंतर्गत ग्राम पीपरी से देगुआ चमर तक पुल सहित सड़क का निर्माण कराये जाने,

(11) श्री संजय यादव, सदस्य, जबलपुर जिले के बरगी अंतर्गत होस्टल ब्लॉक रेस्ट हाऊस के पीछे नाली एवं रोड का निर्माण कराये जाने,

(12) श्री मुरली मोरवाल, सदस्य, उज्जैन जिले के नरसिंगा बड़नगर रोड से ग्राम दौलतपुर तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(13) श्री नीरज विनोद दीक्षित, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम मऊ के हाईस्कूल में अतिरिक्त नवीन कक्ष निर्माण कराये जाने,

- (14) डॉ. हिरालाल बलावा, सदस्य, धार जिले के ग्राम रावतपुरा में आदिवासी मांगलिक भवन का निर्माण कराये जाने,
- (15) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य, अनूपपुर जिले के ग्राम कोयलारी से मझौली तक डामरीकृत मार्ग का निर्माण कराये जाने,
- (16) श्री रामचन्द्र दांगी, सदस्य, राजगढ़ जिले के व्यावरा अंतर्गत बाईहेड़ा गांव के अंदर कन्या प्रा. शाला से नेशनल हाईवे भोपाल रोड तक मार्ग निर्माण कराये जाने,
- (17) श्री मुकेश रावत (पटेल), सदस्य, अलीराजपुर जिले के ग्राम चांदपुर के मोरी फलिया में नाले पर स्टॉप डेम सह रिंगबन पुलिया निर्माण कराये जाने,
- (18) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम ढांडिया से खुलरी तक पक्का मार्ग का निर्माण कराये जाने,
- (19) श्री अनिरुद्ध 'माधव' मारू, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम नलवा की ढाणी से राजपुरा तक सड़क एवं पुलिया निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने,
- (20) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम पालसोड़ा से देवीपुरा तक डामरीकृत सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (21) श्री ग्यारसीलाल रावत, सदस्य, बड़वानी जिले के सेंधवा अंतर्गत ग्राम बनिहार में मास्टर फल्या से हाई स्कूल तक सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने,
- (22) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले के अमझेरा में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने,
- (23) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य, रतलाम जिले के जावरा नगर में आउटडोर स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान करने,
- (24) श्री सुनील सराफ, सदस्य, अनूपपुर जिले के ग्राम कटकोना से हर्री व हर्री से ऊरा मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
- (25) श्री आरिफ मसूद, सदस्य, भोपाल शहर के वार्ड क्र. 59, अनूप नगर के पीछे खजूरी कलां, अवधपुरी में नाले का निर्माण कराये जाने,
- (26) श्री कुंवरजी कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम आमला रोड से मेहरी मोटी व्हाया डोबड़ा जमींदार मार्ग पर पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (27) श्री प्राणीलाल जाटव, सदस्य, शिवपुरी जिले के दतिया की सिंध परियोजना की नहर डी 7, डी 8, डी 9, के मुख्यालय करैरा नहरों की सड़कों का मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कराये जाने,
- (28) डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य, ग्वालियर जिले के वार्ड क्र. 19 के आदित्यपुरम अंतर्गत ग्रीन सिटी, बिजली घर व ब्रजधाम कालोनी में पेयजल हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने,
- (29) श्री हर्ष यादव, सदस्य, सागर जिले के ग्राम रसेना के शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल में भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने,
- (30) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम दाडेवा से लोहाटीया फाल्या तक मार्ग स्वीकृत करने,
- (31) श्री निलय विनोद डागा, सदस्य, बैतूल जिले के ग्राम छेडीसांवलीगढ़ में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (30 विस्तरिया) खोले जाने,
- (32) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार 'रजौधा', सदस्य, मुरैना जिले के जौरा अंतर्गत ग्राम घाडौरि में नवीन शास. मा. वि. खोले जाने,
- (33) श्री पंचूलाल प्रजापति, सदस्य, अनूपपुर जिले के धनगवां अंतर्गत आदिवासी बसाहट पटपरिहा टोला में सड़क निर्माण स्वीकृत करने,
- (34) श्री राकेश गिरि, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम भड़रा शासकीय हाईस्कूल का नवीन भवन स्वीकृत करने,
- (35) श्री राकेश मावई, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम महटौली- शनिचरा रोड से इस्लामपुरा, तालपुरा एवं खजुरकापुरा तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (36) श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम भगनवारा से बिचुआ मार्ग का पक्का निर्माण कराये जाने,
- (37) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी, सदस्य, खरगोन शहर के प्रत्येक घर व कॉम्प्लेक्स को सिवरेज से जोड़ने,
- (38) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के करेली अंतर्गत ग्राम रीछर्ड के शासकीय हाईस्कूल में नवीन भवन स्वीकृत करने,

(39) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, उज्जैन जिले के महिदपुर अंतर्गत ग्राम हीड़ी से आक्याकोली व्हाया नारायण खेड़ी, झरावदा मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने,

(40) श्रीमती मनीषा सिंह, सदस्य, अनूपपुर जिले की वि.स. क्षेत्र क्र. 87 में ग्राम बम्हनी, कनई खोघरा नाला एवं अन्य ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने,

(41) श्री श्यामलाल द्विवेदी, सदस्य, अनूपपुर जिले के कलेक्ट्रेट के पास सोन नदी के दोनों तटों पर घाट निर्माण एवं सोनांचल पर्यटन केन्द्र का निर्माण कराये जाने,

(42) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के ग्राम डुंगासरा में संचालित शासकीय आयुर्वेदिक अस्पताल में भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने,

(43) श्रीमती सुनीता पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा अंतर्गत साईखेड़ा से बारछी तक सड़क निर्माण एवं बारछी नदी पर रिपटा पुल निर्माण कराये जाने,

(44) श्री पहाड़ सिंह कन्नौजे, सदस्य, देवास जिले के निमासा टाण्डी मेन रोड एवं बैडगांव से खल-सड़क मेन रोड तक सड़क निर्माण कराये जाने,
के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2023

को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण (क्रमशः)

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं".

7. वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा.

निर्धारित
समय

8. अशासकीय संकल्प.

30 मि.

(1) श्री विक्रम सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि सतना जिले के रामपुर बघेलान विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बगहाई रोड रेल्वे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर रामपुर बघेलान रोड किया जाए.".

(2) श्री संजय यादव, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि भारतीय सेना में 'अहीर रेजिमेंट' का गठन किया जाए 30 मि. जिससे सन् 1962 में चीन के खिलाफ हुए रेजांगला युद्ध में शहीद अहीर योद्धाओं के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके.".

(3) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि दण्ड संहिता में वर्ष 1896 से चली आ रही तत्कालीन 30 मि. शब्दावली परिवर्तित कर हिन्दी शब्दकोश के शब्दों का उपयोग किया जाए.".

(4) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि निशातपुरा रेल्वे स्टेशन का नाम स्व. श्री कैलाश 30 मि. नारायण सारंग के नाम पर रखा जाये.".

भोपाल :

दिनांक : 2 मार्च, 2023

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.